

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- १४ - ०५ - २०२६


संख्या-12/निजी-7065/2024 सा0प्र0- ४२३६ /सुश्री दीक्षा भगत, बि0प्र0से0 (को0क्र0-952/26), वरीय उप समाहर्ता, शिवहर को निजी कार्य हेतु दिनांक-02.05.2026 से दिनांक-25.05.2026 तक कुल-24 (चौबीस) दिनों की छुट्टी को निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक-02.05.2026 से 08.05.2026 तक (कुल-07 दिन):- बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में।
- (ii) दिनांक-09.05.2026 से 25.05.2026 तक (कुल-17 दिन):- बिहार सेवा संहिता के नियम-232 के तहत अर्द्धवैतनिक छुट्टी के रूप में।

2. सुश्री भगत को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-शून्य दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-03 (तीन) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. सुश्री भगत को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7065/2024 सा0प्र0- ४२३६ /पटना, दिनांक- १४ / ०५ / २०२६

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, शिवहर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सुश्री दीक्षा भगत, बि0प्र0से0 (को0क्र0-952/24), वरीय उप समाहर्ता, शिवहर/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।